



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) 491001

टीप :- कृपया इस विश्वविद्यालय से प्राप्ति समर्त परीक्षाओं के पंजीयन क्रमांक/नामांकन अंक क्रमावार दर्शायें

(कार्य भरने के पूर्ण पैछ छपे निर्देश का पढ़ें)

नामांकन पत्र (विद्यार्थी स्वयं भरें)

प्रति,

कुलसचिव

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

नामांकन क्रमांक

महोदय,

मैं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग में प्रवेश नामांकन हेतु आवेदन करता हूँ। मेरा नामांकन हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग में नहीं हुआ है। इस विश्वविद्यालय, में अमाविद्यालयीन के पूर्व नियमित छात्र/छात्रा के रूप में नामांकित था मेरा नामांकन क्रमांक है।

01. स्थायी पता एवं मोबा. नं:
02. वर्तमान पता एवं मोबा. नं:
03. पूरा नाम हिन्दी में श्री/श्रीमती/कुमारी
04. अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में SHRI/SMT./KU.
05. जन्म तिथि (हाई स्कूल/हायर सेकेप्डरी स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार) (प्रति संलग्न करें)
06. पिता/पति का नाम (हिन्दी में).....(अंग्रेजी में).....
07. पिता/पति का व्यवसाय एवं पता
08. माता का नाम (हिन्दी में).....(अंग्रेजी में)
09. राष्ट्रीयता.....मातृभाषा.....दूसरे देश से भारत आने की तिथि
10. छत्तीसगढ़ में कब से निवास कर रहे हैं (अवधि भरे) अ.जाति/अ.जन.जाति/अन्य पि.व./सामान्य वर्ग (टिक करें)
11. विद्यालय/महाविद्यालय का नाम जहाँ विद्यार्थी अध्ययन कर चुका है
12. महाविद्यालय का नाम
13. पिछली परीक्षा का विवरण (जिसके पश्चात विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है) परीक्षा का नाम
14. सन रोल नं. बोर्ड/वि.वि. का नाम
- परीक्षा का विषय
- नियमित छात्र के रूप में अंतिम बार प्रवेश प्राप्त विद्यालय /महाविद्यालय /संस्था का नाम
- परीक्षा का नाम विद्यार्थी जिसके लिए अध्ययन कर रहा है
- परीक्षा का माध्यम
- पिछली परीक्षा एवं वर्तमान परीक्षा के मध्य अन्तराल है/नहीं है। अन्तराल होने पर अन्तराल प्रमाण पत्र (संलग्न करें)
- यदि आप विश्वविद्यालय की विगत परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने पर पकड़े गये थे तो उसका विवरण :-
- पिछली परीक्षावर्ष रोल नं. परिणाम
- परीक्षा परिणाम पर लिया गया निर्णय अधिसूचना क्रमांक दिनांक

दिनांक :

विद्यार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर

— घोषणा पत्र —

(अ) मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने वर्तमान महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पूर्ण संलग्न प्रमाण पत्र में दशायें तिथि के पश्चात किसी भी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया। मेरे द्वारा उपर भरा गया विवरण सही है। यदि कोई बात असत्य पाई गई तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी और धोखाधड़ी करने के दण्डनीय अपराध की सजा मैं स्वीकार करूँगा/करूँगी।

विद्यार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर

(महाविद्यालय कार्यालय के लिये)

01. अग्रेषित विद्यार्थी के द्वारा उपर लिखा गया विवरण मेरी जानकरी के अनुसार ठीक है। इस विद्यार्थी के मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर महाविद्यालय में हमने प्रवेश दिया है इस विद्यार्थी ने (परीक्षा का नाम लिखें) परीक्षा वार्षिक/पूरक सन बोर्ड/वि.वि.से उत्तरीण की है। मैं सत्यापित करता हूँ कि वि.वि.से प्राप्त अन्य बोर्ड/वि.वि.के निर्देशों, परीक्षाओं और समकक्षता सूची पात्रता पत्र के आधार पर विद्यार्थी को कक्ष में प्रवेश दिया गया है।
02. विद्यार्थी को महाविद्यालय में(तिथि) में प्रवेश दिया गया है, तथा अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से आगमित/विलंब से प्रवेश देने के पूर्व कुलपति जी की अनुमति विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक के द्वारा प्राप्त कर ली गई है।

प्राचार्य का हस्ताक्षर
महाविद्यालय की मुद्रा/मुहर लगावे

निर्देश

01. इस नामांकन पत्र में विद्यार्थी द्वारा हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा बोर्ड/वि.वि. द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार होना आवश्यक है। नाम परिवर्तन चाहने वाले प्रत्याशी मूल हलफनामा/शपथ पत्र/मेरिज सर्टिफिकेट और रु. 180/- शुल्क नमाकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त होने पर ही वांछित परिवर्तन नाम लिखे। शपथ पत्र /हलफनामा की फोटो कापी स्वीकार नहीं होगी।
02. इस नामांकन आवेदन पत्र पर अग्रणीत करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदनाम मूहर होना आवश्यक है।
03. छत्तीसगढ़ बोर्ड को छोड़कर अन्य बोर्ड/वि.वि. से परीक्षा उत्तीर्ण/अनुर्तीर्ण होकर आने वाले विद्यार्थीओं को प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) की मूल प्रति नामांकन फार्म के साथ ही संलग्न कर प्रस्तुत करे। छत्तीसगढ़ के बाहर के बोर्ड/वि.वि. के विद्यार्थी को रु 360/- अप्रवशन शुल्क जमा करे।
04. यदि आपने इस विश्वविद्यालय में प्रवजन प्रमाण पत्र लेकर अन्य वि.वि./संस्था में अग्रिम अध्ययन किया है और उसका उपयोग नहीं किया तो उसे मूल रूप से नामांकन फार्म भर कर शुल्क के साथ वापस लौटाये। अन्यथा धोखाधड़ी 420 के दण्डनीय अपराध के अपराधी होगे।
05. छात्र/छात्रा इस आवेदन पत्र क्रमांक खण्ड एक से चौदह तक के खण्डों को क्रमानुसार उपर दर्शाये जायें।
06. नियमित छात्र के रूप में परीक्षा देने के पश्चात अमहाविद्यालयीन छात्र होकर पुनःमहाविद्यालय में प्रवेश लेने पर अपना नामांकन करना होगा। नवीनीकरण फार्म भर कर शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होगा।

शुल्क

- (1) नामांकन शुल्क 150/- रु.
- (2) अप्रवासन शुल्क 360/- रु
- (3) पी.एच.डी. के छात्रों के नामांकन शुल्क हेतु शुल्क 400/- रु. जमा करना अनिवार्य है।
- (4) विलंब शुल्क 50/- रु प्रति सत्र 31 दिसम्बर तक, इसके पश्चात कुलपति जी के अनुमति के उपरांत 50/- रु. प्रतिमाह अधिभार सहित आवेदन स्वीकार किये जायें। प्रवजन प्रमाण पत्र देने से देर की स्थिति में 50/- रु. विलंब शुल्क एवं अधिभार देना होगा।
- (5) अधिभार शुल्क 50/- रु. प्रत्येक सत्र में 01 जनवरी से प्रारंभ मासान्त तिथि तक 50/- रु. प्रतिमाह। नया सत्र 1 जुलाई लगने के बाद विगत प्रतिवर्ष 600/-रु. अधिभार शुल्क देय होगा। (यथा 1 जनवरी से 30 जून तक)

नियमित छात्र/छात्रा कभी भी विश्वविद्यालय कार्यालय में नामांकन/परीक्षा संबंधी कार्य में उपस्थित होवे, तो अपने महाविद्यालय/विभाग से पूर्ण जानकारी विहित पत्र और सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ ही अधिकारी से संपर्क करे।

नामांकन पंजीयन क्र.	विश्वविद्यालयीन परीक्षा का नाम	परीक्षा में किस वर्ष समिलित हुए	रोल नं.	परीक्षाफल

टीप: निर्धारित शुल्क देना बैंक के खाता क्रमांक – 147310034606, कुलसचिव, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के नाम से देय होगा।